रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052025-263384
CG-DL-E-26052025-263384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947
No. 299]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

सा.का.नि. 342(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के , प्ररुप एफसी-3क में,-

(क) क्रम संख्यांक 5 में,-

(i) "के सुसंगत पृष्ठों" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "घोषणा एवं वचनबंध" के पश्चात्, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत आस्तियों और दायित्वों, प्राप्तियां और संदाय लेखा , तथा आय एवं व्यय लेखा का विवरण भी शामिल हैं;

(ख) यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण में पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कार्यकलाप -वार व्यय अंतरदिष्ट नहीं है, तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र, जिसमें संगम द्वारा कार्यकलाप -वार खर्च की गई रकम को विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसका आय और व्यय लेखा तथा लेखा प्राप्ति एवं संदाय लेखा के साथ सम्यक रूप से मिलान किया गया हो;

(ग) पिछले तीन वर्ष की वर्ष-वार कार्यकलाप रिपोर्ट;

(घ) उपर्युक्त क्रम संख्यांक 6 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रपत्र "कक" में शपथपत्र;

(ड.) यदि संगम प्रकाशन-संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए है या यदि प्रकाशन कार्यकलाप संगम ज्ञापन या ट्रस्ट डीड में यथाकथित इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में से हैं, तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 3(1)(छ) के अनुपालन के संबंध में मुख्य कृत्याकारी से वचनबंध ;

(च) यदि संगम का प्रकाशन भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत है, तो भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार से "समाचारपत्र नहीं" होने संबंधी प्रमाणपत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में प्रस्तुत किया जाएगा ;

(छ) यदि संगम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्वतन पंजीकृत था, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति या रद्दकरण के पश्चात् विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में शपथपत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में प्रस्तुत किया जाएगा और समाप्ति या रद्दकरण की तारीख से आज तक एफसीआरए नामनिर्दिष्ट और उपयोग में आने वाले बैंक खाते के विवरण की प्रति, जो बैंक के अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो;

(ज) यदि पिछले तीन वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों और उद्देश्यों पर व्यय 15 लाख रुपये से कम है, तो नियम 9(1)(च)(ii) के अधीन पूंजी विनिधान के सम्मिलन के संबंध में गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में शपथपत्र।

3. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-3ख में,-

(क) क्रम संख्यांक 4 में,-

(i) "के संगत पृष्ठों" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) घोषणा और वचनबंध" शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: पूर्व अनुज्ञा के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) दाता से प्रतिबद्धता पत्र, जिसमें पत्र में प्रतिबद्ध की गई रकम इस प्ररूप में उल्लिखित दान रकम के समरूप हो;

(ख) परियोजना रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले विदेशी अभिदाय के उपगत होने वाले प्रस्तावित व्यय का विस्तृत ब्यौरा भी है, इस घोषणा के साथ होगा कि प्रशासनिक व्यय विदेशी अभिदाय के 20% से अधिक नहीं होगा;

(ग) गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में मुख्य कृत्यकारी का पत्र, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुज्ञा के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों की प्रत्येक मद की बाबत बिंदुवार ब्योरों का उपबंध किया हो।

(घ) गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के अच्छी पद्धति मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करने का वचनबंध ।

4. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-3ग में,-

(क) क्रम संख्यांक 4 में,-

(i) "के सुसंगत पृष्ठों" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "घोषणा और वचनबंध" शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: नवीकरण के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) उपर्युक्त क्रम संख्यांक 5 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रपत्र "कक" में शपथपत्र;

(ख) यदि संगम का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में शपथपत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://fcraonline.nic.in पर उपलब्ध रूपविधान में प्रस्तुत किया जाएगा और समाप्ति की तारीख से आज तक एफसीआरए नामनिर्दिष्ट और उपयोग में आने वाले बैंक खाते के विवरण की प्रति, जो बैंक के अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो।

5. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-4 में,-

(क) क्रम संख्यांक 3 में,-

(i) खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(ख) उपर्युक्त पैरा 3(क) में सम्मिलित नई आस्तियों के क्रय के ब्यौरे:

क्र. सं.	परियोजना/कार्यकलाप का नाम	नई आस्तियों के ब्यौरे	पता/अवस्थान	नई आस्तियों के अर्जन के उद्देश्य	नई आस्तियों की लागत (रु में)";
				कुल	

(ii) खंड (खक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित राखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(खक) विदेशी अभिदाय में से सृजित जंगम आस्तियों के ब्योरे (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक):

क्र.सं.	आस्तियों का वर्णन	पता/अवस्थान जहां आस्ति रखी गई है	वित्तीय वर्ष के आरंभ पर मूल्य (रु.)	वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों का मूल्य (रु. में)	वित्त वर्ष के दौरान निपटान की गई आस्तियों का मूल्य (रु. में)	वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र के अनुसार मूल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)";

(iii) खंड (खख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(खख) विदेशी अभिदाय में से अर्जित स्थावर संपत्तियों के ब्यौरे (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक):

क्र.सं.	स्थावर आस्ति के ब्यौरे (भूमि/भवन आदि)	आकार	पता/अवस्थान	वित्तीय वर्ष के आरंभ पर मूल्य (रु. में)	वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों का मूल्य (रु. में)	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई आस्तियों का मूल्य (रु. में)	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)";

(ख) "चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र" शीर्षक के अधीन खंड (vii) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"मैंने सभी सुसंगत बहियों और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है, और मैं विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के निम्नलिखित कार्यकलाप/परियोजना वार और अवस्थान वार ब्योरे को प्रमाणित करता हूं:-

क्र. सं.	परियोजना/कार्यकलाप का नाम	पता/ अवस्थान	पूर्व शेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति		उपयोग किया गया		शेष	
			नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)";

6. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-6क के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: नाम और/या पते में परिवर्तन की सूचना देने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) संशोधन के लिए सुसंगत प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति, मुख्य कृत्यकारी द्वारा द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित;

(ख) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रति।"

7. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-6ख के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदान किए गए व्यक्ति/संगम की बाबत प्रकृति, लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन तथा स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारियों के पास रजिस्ट्रीकरण की सूचना देने वाले आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, अर्थात:-

(क) संशोधन के लिए सुसंगत प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति, मुख्य कृत्यकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित;

(ख) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रति।"

8. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-6ग के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नामनिर्दिष्ट "एफसीआरए खाता" और अन्य "एफसीआरए खाते" में परिवर्तन की सूचना देने वाले आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, अर्थात:-

(क) विद्यमान बैंक से पत्र की प्रतियां और नए बैंक के सम्बन्ध में परिवर्तनों को;

(ख) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रति। "

9. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-6घ के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त एफसी-उपयोगिता बैंक खाता खोलने की सूचना देने वाले आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) अतिरिक्त एफसी उपयोगिता बैंक खाता खोलने के संबंध में बैंक से प्राप्त पत्र की प्रति;

(ख) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रति। "

10. उक्त नियमों के प्ररूप एफसी-6ङ के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदान किए गए व्यक्ति/संगम की बाबत में मुख्य सदस्यों में परिवर्तन की सूचना देने वाले आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, अर्थात्:-

(क) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रति;

(ख) जोडे जाने या उपांतरित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रपत्र "कक" में शपथपत्र।

11. उक्त नियमों में, प्रपत्र 'कक' में, पहले पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"1क. मैं शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञान करता हूँ कि,-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ/मैं ……. का नागरिक हूँ और मेरा भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड नंबर ……. है जो ……. को जारी किया गया है;

(ख) मुझे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है;

(ग) मेरे विरुद्ध तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन लंबित है/लंबित नहीं है।

[फा. सं. II/21022/23(12)/2020-एफसीआरए-III]

सौरभ बंसल, संयुक्त निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 349(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, सा.का.नि. 292(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 966(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 199(अ), तारीख 7 मार्च, 2019, सा.का.नि. 659(अ), तारीख 16 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 695(अ), तारीख 10 नवंबर, 2020, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 17(अ), तारीख 11 जनवरी, 2021, सा.का.नि. 506(अ), तारीख 1 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 683(अ), तारीख 22 सितंबर, 2023 और सा.का.नि. 790 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2025

G.S.R. 342(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011(hereinafter referred to as the said rules), in Form FC-3A,-

(a) in serial number 5,-

(i) the words "relevant pages of" shall be omitted;

(ii) the words "showing aims and objects of person/association" shall be omitted;

(b) after the "Declaration and Undertaking", for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

"Note: Applicant seeking registration shall enclose the following documents, namely:-

(a) financial statements and audit reports of the last three financial years, including the statement of assets and liabilities, receipts and payments account, and income and expenditure account;

(b) if the audit reports and financial statements do not contain activity-wise expenditure for the last three financial years, a chartered accountant's certificate in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in specifying the activity-wise amount spent by the association, duly reconciled with the income and expenditure account and the receipt and payment account;

(c) year-wise activity reports of last three years;

(d) affidavit in proforma "AA" for each person mentioned in serial number 6 above;

(e) in case the association is engaged in publication-related activities or if publication activities are among its aims and objectives as stated in the Memorandum of Association or trust deed, an undertaking from the Chief Functionary regarding compliance with section 3(1)(g) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in;

(f) if the publication of the association is registered with the Registrar of Newspaper for India, a "Not a Newspaper" certificate from the Registrar of the Newspaper for India shall be submitted in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in;

(g) if the association was previously registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), an affidavit regarding receipt and utilisation of foreign contribution after expiry or cancellation of registration certificate shall be submitted in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in and a copy of the FCRA designated and utilisation bank account statements from the date of expiry or cancellation till date, duly certified by an officer of the bank;

(h) if the expenditure on aims and objects is less than 15 lakhs in last three financial years, an affidavit regarding the inclusion of capital investments under rule 9(1)(f)(ii) in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in.".

3. In the said rules, in Form FC-3B,-

(a) in serial number 4,-

(i) the words "relevant pages of" shall be omitted;

(ii) the words "showing aims and objects of person/association" shall be omitted;

(b) after the heading "Declaration and Undertaking" and entries relating thereto, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant seeking prior permission shall enclose the following documents, namely:-

(a) commitment letter from the donor, with the amount committed in the letter matching the donation amount mentioned in this Form;

(b) project report including a detailed breakup of proposed expenses to be incurred from the foreign contribution to be received, along with a declaration that administrative expenses shall not exceed 20% of the foreign contribution;

(c) letter from Chief Functionary, in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in, providing point wise details in respect of each item of guidelines for prior permission issued by the Ministry of Home Affairs.

(d) undertaking to adhere to the Good Practice Guidelines of the Financial Action Task Force (FATF), in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in.".

4. In the said rules, in Form FC-3C,-

(a) in serial number 4,-

(i) the words "relevant pages of" shall be omitted;

(ii) the words "showing aims and objects of person/association" shall be omitted;

(b) after the heading "Declaration and Undertaking" and entries relating thereto, the following Note shall be inserted, namely:-

"**Note:** Applicant seeking renewal shall enclose the following documents, namely:-

(a) affidavit in Proforma "AA" for each person mentioned in serial number 5 above;

(b) if the registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has ceased, an affidavit regarding receipt and utilisation of foreign contribution after expiry of registration certificate shall be submitted in the format available on the website of Ministry of Home Affairs at https://fcraonline.nic.in and a copy of the FCRA designated and utilisation bank account statements from the date of expiry till date, duly certified by an officer of the bank.".

5. In the said rules, in Form FC-4,-

(a) in serial number 3,-

(i) for clause (b) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(b) Details of purchase of fresh assets included in para 3(a) above:

Sl. No.	Name of project/activity	Details of fresh assets	Address/location	Objective of acquiring fresh assets	Cost of fresh assets (In Rs.)'';
				Total	

(ii) for clause (ba) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(ba) Details of movable assets created out of Foreign Contribution (as on 31st March of Financial Year):

Sl. No.	Description of the assets	Address/Location where the asset is kept	Value as on beginning of the Financial Year (in Rs.)	Value of assets acquired during the Financial Year (in Rs.)	Value of assets disposed of during the Financial Year (in Rs.)	Value as per the balance sheet at the end of the Financial Year (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)'';

(iii) for clause (bb) and entries relating thereto, the following clause shall be substituted, namely:-

"(bb) Details of immovable properties acquired out of Foreign Contribution (as on 31st March of Financial Year):

Sl. No.	Details of immovable asset (Land /Buildings etc.)	Size	Address /location	Value as on beginning of the Financial Year (in Rs.)	Value of assets acquired during the Financial Year (in Rs.)	Value of assets disposed of during the Financial Year (in Rs.)	Value as per the balance sheet (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)'';

(b) under the heading "certificate to be given by Chartered Accountant", after clause (vii), the following shall be inserted, namely:-

"I have examined all relevant books and records, and I hereby certify the following activities/project wise and location wise details of receipt and utilisation of foreign contribution:-

Sl. No.	Name of project/ activity	Address/ location	Previous balance		Receipt during the year		Utilised		Balance	
			in cash	in kind	in cash	in kind	in cash	in kind	in cash	in kind
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)'';

6. In the said rules, at the end of Form FC-6A, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant intimating change of name and/or address shall also enclose the following documents, namely:-

(a) copy of approval of relevant authority for amendment, duly signed by chief functionary;

(b) copy of Resolution of the Governing body passed before effecting the change.".

7. In the said rules, at the end of Form FC-6B, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant intimating change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the person/association granted registration/prior permission shall also enclose the following documents, namely:-

(a) copy of approval of relevant authority for amendment, duly signed by chief functionary;

(b) copy of resolution of the Governing body passed before effecting the change.".

8. In the said rules, at the end of Form FC-6C, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant intimating designated "FCRA Account" in the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi and Change of another "FCRA Account" shall also enclose the following documents, namely:-

(a) copies of letter from existing Bank and the new Bank regarding the changes;

(b) copy of resolution of the Governing body passed before effecting the change.".

9. In the said rules, at the end of Form FC-6D, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant intimating Opening of additional FC-utilisation Bank Account for the purpose of utilisation of foreign contribution shall also enclose the following documents, namely:-

(a) copy of letter from the bank regarding opening of additional FC Utilisation bank account;

(b) copy of resolution of the Governing body passed before effecting the change.".

10. In the said rules, at the end of Form FC-6E, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: Applicant intimating change in key members in respect of the person/association granted registration/prior permission shall also enclose the following documents, namely:-

(a) copy of resolution of the Governing body passed before effecting the change;

(b) affidavit in Proforma "AA" for each person being added or modified.".

11. In the said rules, in proforma 'AA', after first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"1A. I do hereby, solemnly affirm on oath that,-

(a) I am a citizen of India/I am a citizen of …….. and my Overseas Citizen of India (OCI) card number is ………. issued on ……..;

(b) I have been/not been convicted under any law for the time being in force;

(c) prosecution is/is not pending against me for any offence under any law for the time being in force.".

[F. No. II/21022/23(12)/2020-FCRA-III]

SAURABH BANSAL, Jt. Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), *vide* notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended, *vide* G.S.R. 292(E), dated the 12th April, 2012, G.S.R. 966 (E), dated the14th December, 2015, G.S.R. 199 (E), dated the 7th March, 2019, G.S.R. 659 (E), dated the 16th September, 2019, G.S.R. 695(E), dated the10th November, 2020, a corrigendum *vide* G.S.R. 17(E), dated the 11th January, 2021, G.S.R. 506(E), dated the 1st July, 2022, G.S.R. 683(E), dated the 22nd September, 2023, and G.S.R. 790(E), dated the 31st December, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.